छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण कमांक 565/2007

1. **श्री बलवंत गजानन पाण्डे,** - *शिकायतकर्ता*
सब ट्रेजरी आफिस के पीछे,
के0के0 वार्ड, भाटापारा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *अनावेदक*
कार्यालय छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 18 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री बलवंत पाण्डे द्वारा दिनांक 24.06.2007 को सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और दिनांक 04.09.2007 को जानकारी दी गई, किन्तु प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होने एवं समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में बाद में दिनांक 16.08.2007 के पत्र द्वारा शिकायतकर्ता को जानकारी भेजी गई थी, इस संबंध में शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें विलंब से जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनके द्वारा एक विस्तृत आवेदन दिनांक 16.02.2008 को प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें मुख्य रूप से मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों पर आपत्ति है और आयोग इस संबंध में कोई निर्देश एवं हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नही है तथा आयोग केवल अपूर्ण एवं भ्रामक दी गई जानकारी के संबंध में निर्देश दे सकता है । बाद में दिये गये एक आवेदन के अंत में एक सूची प्रदान की गई है, जो जानकारी उन्हें नही दी गई है, अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि मण्डल द्वारा शिकायतकर्ता के आवेदन से संबंधित सभी रिकार्ड का उन्हें निःशुल्क अवलोकन करा दिया जावे और उसमें से जो भी जानकारी गोपनीयता के अन्तर्गत आती है उसे छोड़कर शेष जानकारियाँ निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी की कोई दुर्भावना नही है, अतः किसी प्रकार की शास्ति की कार्यवाही आवश्यक नही है, किन्तु विलंब के कारण शिकायतकर्ता को हुई

आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत मण्डल की ओर से शिकायतकर्ता को राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त